अध्याय-9

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

9.1 प्रस्तावना

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यवसाय द्वारा नैतिक रूप से व्यवहार करने और बड़े पैमाने पर स्थानीय समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए आर्थिक विकास में योगदान करने की निरंतर प्रतिबद्धता है। यह स्थिरता, सामाजिक प्रभाव और नैतिकता को शामिल करते हुए अपने हितधारकों और बड़े पैमाने पर सामान्य समुदाय के हितों की पहचान करता है। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व की अवधारणा देने और लेने की विचारधारा पर टिकी हुई है। कंपनियां समाज से कच्चे माल, मानव संसाधन आदि के रूप में संसाधन लेती हैं। कंपनियां कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों का निर्वहन करते हुए समाज को कुछ वापस दे रही हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व जनादेश को शामिल करना विकास के लाभों को समान रूप से वितरित करने और देश के विकास एजेंडे के साथ कॉरपोरेट जगत को शामिल करने के सरकार के प्रयासों को पूरा करने का एक प्रयास है।

9.1.1 कानूनी ढांचा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (बाद में अधिनियम के रूप में संदर्भित), कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के विषय से संबंधित है और उन कंपनियों के लिए तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निवल मूल्य, टर्नओवर और निवल लाभ पर आधारित योग्यता को पूरा करने वाले मानदंड को निर्धारित करती है, जिनके द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियां शुरू करना अपेक्षित है और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन और निगरानी के व्यापक तौर-तरीकों को निर्दिष्ट करती है। कंपनियों द्वारा जो गतिविधियां कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीतियों में शामिल की जा सकती हैं वे अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध है। अधिनियम की धारा 135 और अधिनियम की अनुसूची VII के प्रावधान राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सहित सभी कंपनियों पर लागू होते हैं।

अधिनियम किसी भी कंपनी के लिए वार्षिक तौर पर तीन तत्काल पूर्ववर्ती वर्षों के औसत निवल लाभ के कम से कम दो प्रतिशत (अधिनियम की धारा 198 के अनुसार परिगणित) को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों में व्यय करना अनिवार्य बनाता है। फरवरी 2014 में, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एम.सी.ए.) ने कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 जारी किए, जो 1 अप्रैल 2014 से राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सहित सभी कंपनियों पर लागू होते हैं। तदनुसार, अधिनियम के अंतर्गत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के प्रावधानों का अनुपालन अर्थात् कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति का निर्माण तथा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों पर निर्धारित राशि का व्यय अप्रैल 2014 से लागू हुआ।

9.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों के आकलन का लेखापरीक्षा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या:

- कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति के गठन, नीति के निर्माण और अनुपालन, निष्पादन के नियोजन चरणों से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है;
- निर्दिष्ट गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली निर्धारित राशि से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है; तथा
- कार्यान्वयन और रिपोर्टिंग से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

9.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कवरेज

अधिनियम की धारा 135(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट मानदंड के अनुसार, 2022-23 में कार्यरत 32 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से 10 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ***(परिशिष्ट 9.1)*** को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों को करने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, 2022-23 के दौरान एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम[1] ने पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि से कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों पर व्यय किया। इस प्रकार, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2022-23 के दौरान 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा की गई कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों की समीक्षा की गई।

9.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा विश्लेषण निम्नलिखित मानदंड के अनुसार किया गया था:

- अधिनियम की धारा 135 और अनुसूची VII में निहित प्रावधान: और
- कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के प्रावधान।

9.5 लेखापरीक्षा परिणाम

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति के गठन; नीति के निर्माण एवं अनुपालन; कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों की योजना एवं निष्पादन; और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा उनकी निगरानी एवं रिपोर्टिंग के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की सीमा पर लेखापरीक्षा परिणाम निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिए गए हैं।

9.6 योजना

9.6.1 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन

अधिनियम की धारा 135 (1) एवं (3) के अनुसार बोर्ड और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति की भूमिका ***चार्ट 9.1*** में दर्शाई गई है:

---

[1] हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड।

चार्ट 9.1: बोर्ड और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति की भूमिका

अधिनियम की धारा 135 (1) के अनुसार, तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक के निवल मूल्य या ₹ 1,000 करोड़ या अधिक के टर्नओवर या ₹ पांच करोड़ या अधिक के निवल लाभ वाली प्रत्येक कंपनी बोर्ड की एक कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन करेगी जिसमें तीन या अधिक निदेशक होंगे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 11 में से नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समितियों का गठन किया था। अन्य दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों[2] (हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड और हरियाणा राज्य वित्तीय सेवा लिमिटेड) ने 31 मार्च 2023 तक कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समितियों का गठन नहीं किया था, हालांकि, ये राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम धारा 135(1) के अंतर्गत लाभ कमाने के अपेक्षित मानदंडों को पूरा करते थे, अर्थात इन्हें 2021-22 के दौरान ₹ पांच करोड़ से अधिक का लाभ हुआ।

9.6.2 समिति में स्वतंत्र निदेशक

अधिनियम की धारा 135(1) के अनुसार, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति गठित करने वाले नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, अर्थात् हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड, ने अपनी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक रखने के प्रावधान का पालन नहीं किया था।

9.6.3 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति तैयार करना

अधिनियम की धारा 135 (3) के अनुसार अपेक्षित है कि कंपनी की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति तैयार करेगी और बोर्ड को इसकी सिफारिश करेगी। यह देखा गया कि 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से आठ ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति की सिफारिश के आधार पर अपनी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति तैयार की, जबकि शेष तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, गुड़गांव

[2] चूंकि इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने न तो कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन किया था और न ही कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति तैयार की थी, इसलिए इन पर विश्लेषण के लिए विचार नहीं किया गया है।

टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड और हरियाणा राज्य वित्तीय सेवा लिमिटेड) के पास कोई कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति नहीं थी।

9.6.4 वार्षिक कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व योजना एवं बजट

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति की भूमिका, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों और वित्तीय वर्ष में खर्च की जाने वाली राशि के बारे में बोर्ड को सिफारिश करना है। बोर्ड को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। प्रस्तावित कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट को नए वित्तीय वर्ष के आरंभ से पहले या जल्द से जल्द अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि वर्ष के अंत में निधियों को समाप्त करने के लिए व्यय के वेग से बचा जा सके और निधियों को वर्ष भर समान रूप से खर्च किया जा सके।

यह देखा गया कि केवल एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम अर्थात हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एचपीजीसीएल) ने नए वित्तीय वर्ष के आरंभ से पहले अपना कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व बजट अनुमोदित करवाया, चार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों अर्थात उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल), दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डीएचबीवीएनएल), हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) और हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (हारट्रॉन) ने दूसरी तिमाही में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व बजट अनुमोदित करवाया और शेष चार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों अर्थात हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल), हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड (एचएफडीसी), हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड (एचएसआरडीसी) और गुड़गांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड (जीटीपीएल) ने तीसरी तिमाही में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व बजट अनुमोदित करवाया।

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने अपने उत्तर में बताया (दिसंबर 2024) कि कंपनी की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति ने 26 मार्च 2022 को हुई अपनी बैठक में 2022-23 में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय योग्य राशि में से महेंद्रगढ़ में एक प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन (पीएसए) संयंत्र की स्थापना के लिए ₹ 2.02 करोड़ आबंटित किए थे, जो कि काफी पहले ही आबंटित कर दिए गए थे। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए वार्षिक कार्य योजना को 2 सितंबर 2022 को हुई कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया था।

9.7 वित्तीय घटक

9.7.1 निधियों का आबंटन

अधिनियम की धारा 135 (5) किसी भी कंपनी के लिए यह अनिवार्य करती है कि वह तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ (अधिनियम की धारा 198 के अंतर्गत परिगणित) का कम से कम दो प्रतिशत वार्षिक खर्च करे।

11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से नौ[3] राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा इस प्रकार परिकलित औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत ₹ 14.77 करोड़ था ***(परिशिष्ट 9.2)***। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने पिछले वर्षों के ₹ 34.19 करोड़ (सात राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा) के कैरीओवर सहित ₹ 48.96 करोड़ आबंटित किए।

इस संबंध में लेखापरीक्षा में देखा गया कि:

- कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एम.सी.ए.), भारत सरकार ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 01/2016 दिनांक 12 जनवरी 2016 में स्पष्ट किया है कि "धारा 135 के लिए निवल लाभ की गणना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार है जो मुख्य रूप से कर पूर्व लाभ है।" लेखापरीक्षा में देखा गया कि चार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों अर्थात हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और गुड़गांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड ने धारा 198 के अंतर्गत यथा अपेक्षित औसत लाभ की गणना के लिए कर पूर्व लाभ नहीं लिया था। कारपोरेट कार्य मंत्रालय के स्पष्टीकरण के अनुसार इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का औसत कर पूर्व लाभ इन कंपनियों द्वारा परिकलित ₹ 286.93 करोड़ की तुलना में ₹ 766.62 करोड़ था ***(परिशिष्ट 9.3)***। इसके परिणामस्वरूप चार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व निधियों का ₹ 9.59 करोड़ (₹ 15.33 करोड़ - ₹ 5.74 करोड़) का कम प्रावधान किया गया है।

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने अपने उत्तर में बताया (दिसंबर 2024) कि यह अंतर "अन्य व्यापक आय (ओसीआई)/व्यय" पर विचार न करने के कारण था। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बताया (जनवरी 2025) कि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि अन्य व्यापक आय के अंतर्गत आने वाले टर्मिनल लाभों से संबंधित व्यय का दावा नहीं किया जा सकता। ये उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार अन्य व्यापक आय को कर पूर्व लाभ से नहीं काटा जाना था।

9.7.2 निधियों का उपयोग

अधिनियम की धारा 135 (5) में वर्णित है कि बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी पिछले तीन वर्षों के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करे। लेखापरीक्षा में देखा गया कि नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा ₹ 48.96 करोड़ (पिछले वर्ष की अव्ययित निधि सहित) के अपेक्षित व्यय के विरुद्ध वास्तविक व्यय ₹ 7.52 करोड़ था, जिसमें सात राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा ₹ 41.44 करोड़ की राशि अव्ययित छोड़ दी गई थी ***(परिशिष्ट 9.2)***। हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड ने पिछले वर्षों की अव्ययित शेष राशि का पूरी तरह से उपयोग किया और गुड़गांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड ने 2022-23 के दौरान आबंटित कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व निधि का पूरा उपयोग किया।

---

[3] हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड और हरियाणा वित्तीय सेवा लिमिटेड ने 2022-23 के दौरान न तो निधियां आबंटित की और न ही कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पर कोई व्यय किया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि हारट्रॉन ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत व्यय हेतु हरियाणा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व ट्रस्ट/हरियाणा कल्याण सोसाइटी को ₹ 0.64 करोड़[4] प्रेषित किए। इसी प्रकार, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने भी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत व्यय हेतु अपर उपायुक्त, जींद को ₹ 0.90 करोड़ प्रेषित किए। हालाँकि, हारट्रॉन ने इस राशि का उपयोग प्रमाण-पत्र (जनवरी 2025 तक) प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए, 2022-23 के दौरान इन निधियों के उपयोग का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं हो सका।

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने अपने उत्तर में बताया (दिसंबर 2024) कि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत व्यय के लिए अपर उपायुक्त, जींद को प्रेषित किए गए ₹ 0.90 करोड़ का उपयोग 2024-25 के दौरान किया गया था।

9.7.3 तिमाही वार व्यय

नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा 2022-23 के दौरान कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत कुल व्यय ₹ 7.52 करोड़ था। पिछली दो तिमाहियों में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय में अधिक प्रवाह था क्योंकि कुल कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय का 68 प्रतिशत इन्ही तिमाहियों में हुआ। गुड़गांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड, हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड और हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड ने चौथी तिमाही में क्रमशः ₹ 0.15 करोड़, ₹ 0.25 करोड़ और ₹ 0.16 करोड़ की अपनी पूरी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व निधियां खर्च की।

9.7.4 उच्च व्ययकर्ता

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों पर कुल व्यय ***चार्ट 9.2*** में दर्शाया गया है:

चार्ट 9.2: कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय (₹ करोड़ में)

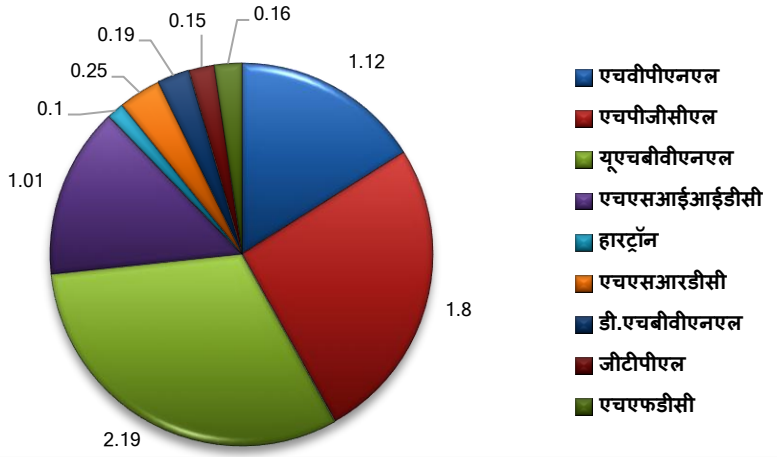

सबसे अधिक व्यय करने वाला उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड रहा, जिसने ₹ 2.19 करोड़ (कुल कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय का 29 प्रतिशत) खर्च किया, उसके बाद हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड रहा, जिसने ₹ 1.80 करोड़ (24 प्रतिशत) खर्च किया।

[4] हरियाणा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व ट्रस्ट: ₹ 0.59 करोड़ और हरियाणा कल्याण सोसायटी: ₹ 0.05 करोड़।

9.7.5 जिला-वार कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय

चार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड) ने राज्य के एक से अधिक जिलों में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियां शुरू की थी। शेष पांच राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व निधि केवल एक जिले में ही खर्च की।

9.7.6 प्रशासनिक उपरिव्यय

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नियम 7(1) के अनुसार, प्रशासनिक उपरिव्यय को समग्र कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व निधियों के पांच प्रतिशत तक सीमित किया जाना है। अलग से प्रकट किए जाने वाले उपरिव्यय में आधारभूत अध्ययन, क्षमता निर्माण और अन्य उपरिव्यय शामिल होने चाहिए। तथापि, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय में प्रशासनिक उपरिव्यय के रूप में कोई राशि शामिल नहीं थी।

9.7.7 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजना से अधिशेष

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नियम 7(2) के अनुसार, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाला कोई भी अधिशेष कंपनी के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं होगा। समीक्षाधीन किसी भी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं से किसी अधिशेष की सूचना नहीं दी।

9.8 परियोजना कार्यान्वयन

9.8.1 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं/गतिविधियों का चयन

किसी भी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, जिनके द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय करना अपेक्षित था, ने अपनी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कोई अलग बेसलाइन सर्वेक्षण या आवश्यक मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया।

9.8.2 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों के कार्यान्वयन की प्रणाली

कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व) नियमावली, 2014 का नियम 4 विशेष रूप से उस प्रणाली से संबंधित है जिसमें अधिनियम की धारा 135(1) के अंतर्गत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधि की जानी है। बोर्ड एक पंजीकृत ट्रस्ट/सोसाइटी अथवा कंपनी या इसकी धारिता अथवा सहायक अथवा सहयोगी कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 8 या अन्यथा के अंतर्गत स्थापित किसी कंपनी के माध्यम से कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति द्वारा अनुमोदित कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों को शुरू करने का निर्णय ले सकता है।

यह देखा गया था कि छः राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों[5] द्वारा 26 परियोजनाओं को सीधे/घरेलू

[5] हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड और हारट्रॉन।

रूप से कार्यान्वित किया गया था। पांच राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों[6] द्वारा सात परियोजनाओं को सरकार/बाहरी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों, सोसायटी आदि के माध्यम से निष्पादित किया गया था।

9.8.3 केंद्र बिंदु के क्षेत्र

केंद्र बिंदु के क्षेत्रों को नीचे ***चार्ट 9.3*** में दर्शाया गया है:

चार्ट 9.3: कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय (प्रतिशत)

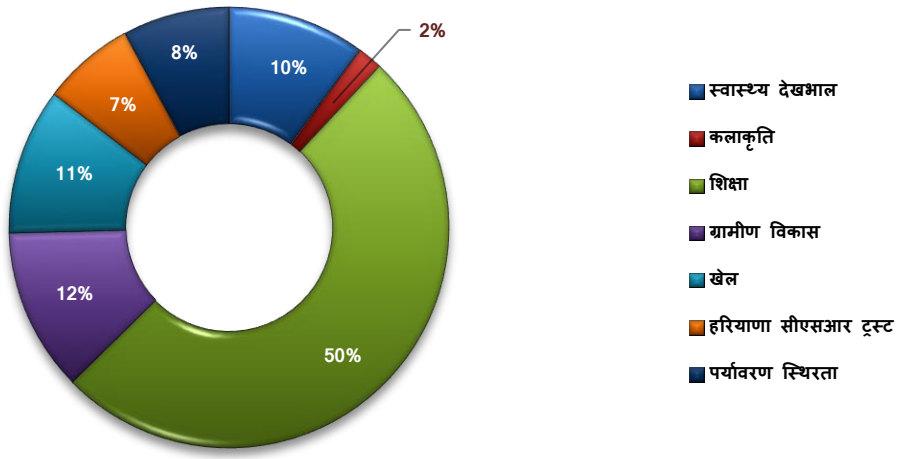

ऊपर इंगित किए गए अनुसार शिक्षा पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया (50 प्रतिशत), जिसमें ₹ 3.81 करोड़ का व्यय शामिल है। इसके बाद सबसे अधिक व्यय (₹ 0.90 करोड़) ग्रामीण विकास पर हुआ, जो 12 प्रतिशत है।

9.9 निगरानी तंत्र

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नियमावली, 2014 के नियम 5(2) के अनुसार, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति कंपनी द्वारा शुरू की गई कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं/ कार्यक्रमों/ गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करेगी। लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी आठ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, जिन्होंने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति तैयार की थी, ने नीति में निगरानी तंत्र को निर्दिष्ट किया था।

9.10 सूचना एवं प्रकटन

अधिनियम की धारा 135 (4) (क) के साथ पठित कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नियम, 2014 के नियम 8 के अनुसार, कंपनी द्वारा अपनी बोर्ड रिपोर्ट में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पर एक वार्षिक रिपोर्ट शामिल करना और इसे आधिकारिक वेबसाइट पर डालना अपेक्षित है। कंपनियों को निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित को प्रकट करना होगा:

- कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति की विषय-वस्तु, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति का वेब लिंक, औसत निवल लाभ, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति की संरचना,

[6] हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, हारट्रोन, हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड और गुड़गांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड।

प्रशासनिक उपरिव्यय, निर्धारित राशि, अव्ययित राशि, अव्ययित राशि के कारणों को प्रकट करना।

- कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति द्वारा हस्ताक्षरित एक उत्तरदायित्व वक्तव्य शामिल करना कि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व उद्देश्य और नीति के अनुपालन में थी।

इस संबंध में निम्नलिखित बातें देखी गईं:

- चार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (हरियाणा विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड) द्वारा प्रावधानों का अनुपालन;
- गुड़गांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने बोर्ड की रिपोर्ट में निर्धारित प्रारूप में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर वार्षिक रिपोर्ट शामिल नहीं की; और
- चार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (हारट्रॉन, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड और हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड) की 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी, इसलिए उनके मामले में लागू प्रकटीकरण अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया जा सका।

9.11 निष्कर्ष

हरियाणा में 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से, जिन्हें अधिनियम के अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों को करने की आवश्यकता थी, केवल नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने ही इसका अनुपालन किया। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय का केंद्र बिंदु क्षेत्र शिक्षा और ग्रामीण विकास था। सभी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं का चयन बिना किसी आवश्यकता मूल्यांकन के किया गया था। 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से सात, जो मानदंडों को पूरा करते थे, द्वारा रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया था।

9.12 सिफारिश

मानदंडों को पूरा करने वाले सभी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति तैयार करनी चाहिए और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नियमों के अनुपालन में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन करना चाहिए। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व बजट कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए और वर्ष के लिए तय पूरे बजट को खर्च करने का प्रयास किया जाना चाहिए। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा बड़े पैमाने पर सामान्य समुदाय के लिए स्थिरता और सामाजिक प्रभाव को शामिल करने के लिए अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट केंद्र बिंदु क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए।